

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय

क0 627 /आर-229 /2021 /ब-1 /चार

भोपाल, दिनांक 16 /07 /2021

प्रति,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
शासन के समस्त विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल ।

विषय:- वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे में लेखाओं की टीप हेतु विभिन्न परिशिष्टों एवं विवरण पत्रकों में जानकारी उपलब्ध कराने बावत ।

- संदर्भ:-
1. प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम मध्यप्रदेश ग्वालियर के पत्र पृ. कं. बुक-II / वित्त लेखे / 2020-21 / 553, दिनांक 17 / 02 / 2021.
  2. वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 597 / आर-482 / 2021 / ब-1 / चार , भोपाल, दिनांक 08 / 07 / 2021
  3. वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 525 / आर-746 / 2020 / ब-1 / चार , भोपाल, दिनांक 14 / 06 / 2021
  4. वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 387 / आर-229 / 2021 / ब-1 / चार , भोपाल, दिनांक 12 / 04 / 2021
  5. वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 28 / आर-831 / 2020 / ब-1 / चार , भोपाल, दिनांक 12 / 01 / 2021
  6. वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 249 / 1096 / 2019 / ब-1 / चार , भोपाल, दिनांक 11 / 06 / 2020

-000-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। राज्य सरकार के वित्त लेखों के लिए आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रारूपों में 31 मार्च की स्थिति में प्रतिवर्ष 15 अप्रैल तक प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम, ग्वालियर को प्रेषित किया जाना आवश्यक है। संदर्भित पत्रों के माध्यम से वांछित जानकारी महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए वित्त विभाग को अवगत कराये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया। इस संबंध में प्रधान महालेखाकार द्वारा अवगत कराया गया है कि विभागों द्वारा जानकारी अप्राप्त अथवा अपूर्ण होने के कारण वित्त लेखों को पूर्ण रूप दिये जाने में समस्या उत्पन्न हो रही है।

2/ वित्त लेखे के विवरण पत्रकों (7,8,10, 18 एवं 19) व परिशिष्टों (VIII,IX,XI एवं XII) के निर्धारित प्रारूप सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न हैं, विवरण पत्रों व परिशिष्टों में दर्शित जानकारी पूर्व वित्तीय वर्षों की है। दिनांक 31 मार्च 2021 की स्थिति में वित्त वर्ष 2020-21 की जानकारी के साथ विभाग में पदस्थ वित्तीय सलाहकार/वित्त अधिकारियों को दिनांक 19/07/2021 एवं 20/07/2021 को संलग्न समय-सारणी अनुसार बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध है।

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)

संचालक बजट

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

क0628/आर-229/2021/ब-1/चार  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक/6/07/2021

- 1 प्रमुख सचिव/सचिव, मप्र शासन, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ ।
- 2 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम) मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. समस्त उपसचिव, मप्र शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर लेख है कि बजट शाखा से संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

वित्त लेखे के विवरण पत्रक 7,8,10,18 एवं 19 में जानकारी हेतु दिनांक 19/07/2021 को बैठक की समय-सारणी

सं0क्र0	बजट शाखा	विभाग	कक्ष क्रमांक	समय
1	2	3	4	5
1	1	खनिज साधन	वल्लभ भवन कक्षांक 1 तृतीय तल, कक्ष 315	सायं 04:00 बजे से 04:15 बजे तक
2	1	वाणिज्यिक कर		
3	1	परिवहन		
4	1	योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी		
5	1	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन		
6	2	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन		
7	2	सुक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	वल्लभ भवन कक्षांक 1 तृतीय तल, कक्ष 315	सायं 04:30 बजे से 04:45 बजे तक
8	2	संस्कृति विभाग		
9	2	नगरीय विकास एवं आवास		
10	2	विमानन		
11	2	पर्यटन		
12	2	पर्यटन		
13	2	प्रवासी भारतीय	वल्लभ भवन कक्षांक 1 तृतीय तल, कक्ष 315	सायं 04:45 बजे से 05:00 बजे तक
14	3	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		
15	3	उच्च शिक्षा		
16	3	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार		
17	3	खेल एवं युवक		
18	3	स्कूल शिक्षा		
19	4	पशुपालन	वल्लभ भवन कक्षांक 1 तृतीय तल, कक्ष 315	सायं 05:00 बजे से 05:15 बजे तक
20	4	सहकारिता		
21	4	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण		
22	4	किसान कल्याण एवं कृषि विकास		
23	4	पंचायत एवं ग्रामीण विकास		
24	4	कुटीर एवं ग्रामोद्योग		
25	4	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण		
26	4	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास		
27	4	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण		
28	5	राजस्व एवं पुनर्वास		
29	5	महिला एवं बाल विकास	वल्लभ भवन कक्षांक 1 तृतीय तल, कक्ष 315	सायं 05:15 बजे से 05:30 बजे तक
30	5	जनसम्पर्क		
31	5	वन		
32	5	अध्यात्म (धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व)		
33	6	वित्त	वल्लभ भवन कक्षांक 1 तृतीय तल, कक्ष 315	सायं 05:30 बजे से 05:45 बजे तक
34	6	चिकित्सा शिक्षा		
35	6	आयुष		
36	6	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास		
37	6	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
38	6	पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण		
39	6	विमुक्त, घुमकड एवं अर्धघुमकड जनजाति कल्याण		
40	6	अनुसूचित जाति कल्याण		
41	6	जनजातीय कार्य		
42	8	गृह		
43	8	विधि और विधायी कार्य		
44	8	श्रम		
45	8	संसदीय कार्य		
46	8	सामान्य प्रशासन		
47	8	जेल		
48	8	लोक सेवा प्रबन्धन	वल्लभ भवन कक्षांक 1 तृतीय तल, कक्ष 315	सायं 05:45 बजे से 06:00 बजे तक
49	9	नर्मदा घाटी विकास		
50	9	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी		
51	9	लोक निर्माण		
52	9	ऊर्जा		
53	9	नवीन एवं नवकरणीय		
54	9	जल संसाधन		

*Handwritten signature and date: 16/7/21*

वित्त लेखे के परिशिष्ट VIII, IX, XI, एवं XII में जानकारी हेतु दिनांक 20/07/2021 को बैठक की समय-सारणी

संक्र०	बजट शाखा	विभाग	कक्ष क्रमांक	समय
1	2	3	4	5
1	1	खनिज साधन	वल्लभ भवन क्रमांक 1 तृतीय तल, कक्ष 315	सायं 04:00 बजे से 04:15 बजे तक
2	1	वाणिज्यिक कर		
3	1	परिवहन		
4	1	योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी		
5	1	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन		
6	2	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	वल्लभ भवन क्रमांक 1 तृतीय तल, कक्ष 315	सायं 04:30 बजे से 04:45 बजे तक
7	2	सुक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम		
8	2	संस्कृति विभाग		
9	2	नगरीय विकास एवं आवास		
10	2	विमानन		
11	2	पर्यावरण	वल्लभ भवन क्रमांक 1 तृतीय तल, कक्ष 315	सायं 04:45 बजे से 05:00 बजे तक
12	2	पर्यटन		
13	2	प्रवासी भारतीय		
14	3	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		
15	3	उच्च शिक्षा		
16	3	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	वल्लभ भवन क्रमांक 1 तृतीय तल, कक्ष 315	सायं 05:00 बजे से 05:15 बजे तक
17	3	खेल एवं युवक		
18	3	स्कूल शिक्षा		
19	4	पशुपालन		
20	4	सहकारिता		
21	4	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	वल्लभ भवन क्रमांक 1 तृतीय तल, कक्ष 315	सायं 05:15 बजे से 05:30 बजे तक
22	4	किसान कल्याण एवं कृषि विकास		
23	4	पंचायत एवं ग्रामीण विकास		
24	4	कुटीर एवं ग्रामोद्योग		
25	4	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण		
26	4	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	वल्लभ भवन क्रमांक 1 तृतीय तल, कक्ष 315	सायं 05:30 बजे से 05:45 बजे तक
27	4	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण		
28	5	राजस्व एवं पुनर्वास		
29	5	महिला एवं बाल विकास		
30	5	जनसम्पर्क		
31	5	वन	वल्लभ भवन क्रमांक 1 तृतीय तल, कक्ष 315	सायं 04:15 बजे से 04:30 बजे तक
32	5	अध्यात्म (धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व)		
33	6	वित्त		
34	6	चिकित्सा शिक्षा		
35	6	आयुष		
36	6	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	वल्लभ भवन क्रमांक 1 तृतीय तल, कक्ष 315	सायं 05:45 बजे से 06:00 बजे तक
37	6	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
38	6	पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण		
39	6	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण		
40	6	अनुसूचित जाति कल्याण		
41	6	जनजातीय कार्य	वल्लभ भवन क्रमांक 1 तृतीय तल, कक्ष 315	सायं 04:15 बजे से 04:30 बजे तक
42	8	गृह		
43	8	विधि और विधायी कार्य		
44	8	श्रम		
45	8	संसदीय कार्य		
46	8	सामान्य प्रशासन	वल्लभ भवन क्रमांक 1 तृतीय तल, कक्ष 315	सायं 05:45 बजे से 06:00 बजे तक
47	8	जेल		
48	8	लोक सेवा प्रवन्धन		
49	9	नर्मदा घाटी विकास		
50	9	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी		
51	9	लोक निर्माण	वल्लभ भवन क्रमांक 1 तृतीय तल, कक्ष 315	सायं 05:45 बजे से 06:00 बजे तक
52	9	ऊर्जा		
53	9	नदीन एवं नवकरणीय		
54	9	जल संसाधन		

*Sum*  
16/7/21

## 7 - सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिमों का विवरण पत्रक

अनुभाग - 1 ऋणों और अग्रिमों का सार : ऋणी समूहवार

ऋणी समूह	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्मुगतान	बड़े खाते डाले गए अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम <sup>(क)</sup>	31 मार्च 2019 को शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान कुल वृद्धि/कमी (6-2)	(₹ करोड़ में)
							व्याज भुगतान की बकाया राशि <sup>(ख)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान	1,61.14	57.84	0.13	-	2,18.85	57.71	-
नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम	2,90.81	1,96.57	48.57	-	4,38.81	1,48.00	-
शहरी विकास प्राधिकरण	16,42.68	निरंक	निरंक	-	16,42.68	निरंक	-
गृह निर्माण मण्डल	1,76.34 <sup>(ख)</sup>	निरंक	0.85	-	1,75.49	(-) 0.85	-
राज्य गृह निर्माण निगम	0.51	निरंक	निरंक	-	0.51	निरंक	-
पंचायती राज संस्थान	0.77	निरंक	निरंक	-	0.77	निरंक	-
सांविधिक निगम	62,91.49	निरंक	0.51	-	62,90.98	(-) 0.51	-
सरकारी कंपनियां	2,48,08.20 <sup>(ख)</sup>	3,85.25	निरंक	-	2,51,93.45	3,85.25	-
सहकारी समितियां/सहकारी निगम/बैंक	13,92.28 <sup>(ख)</sup>	1,12.47	15.43	-	14,89.32	97.04	-
अन्य	63,40.67 <sup>(ख)</sup>	3,37.53	4.38	-	66,73.82	3,33.16	-
शासकीय कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	19.14	निरंक	0.01	-	19.13	(-) 0.01	-
विविध प्रयोजन हेतु ऋण	0.04	निरंक	निरंक	-	0.04	निरंक	-
<b>योग - ऋण और अग्रिम</b>	<b>4,11,24.07</b>	<b>10,89.66</b>	<b>69.88</b>	<b>-</b>	<b>4,21,43.85</b>	<b>-10,19.78</b>	<b>-</b>

(क) राज्य शासन से जानकारी प्रतीक्षित है।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर द्वारा प्रारंभिक शेष में ₹ 44.71 करोड़ की कमी की गई।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर द्वारा प्रारंभिक शेष में ₹ 2,68.66 करोड़ की कमी की गई।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर द्वारा प्रारंभिक शेष में ₹ 25.03 करोड़ की कमी की गई।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर द्वारा प्रारंभिक शेष में ₹ 6.95 करोड़ की कमी की गई।

## 8 - सरकार के निवेशों का विवरण पत्रक

सरकार का विभिन्न संस्थानों की अंश पूंजी तथा ऋण-पत्रों में 2017-18 तथा 2018-19 में निवेश का तुलनात्मक सारांश

(₹ करोड़ में)

	संस्थान का नाम	2018-19			2017-18		
		संस्थानों की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लामांश/ब्याज	संस्थानों की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लामांश/ब्याज
1	सांविधिक निगम	34	92,59.66 <sup>(क)</sup>	2,73.50	33	87,60.96 1,74.89	6,06.02
2	सरकारी कंपनियाँ	41	2,43,49.56 <sup>(ख)</sup>	73.71	43	2,05,21.26 1,80.49	15.92
3	संयुक्त पूंजी कंपनियाँ और साझेदारियाँ	24	1.31 <sup>(ग)</sup>	0.02	23	0.11 1.54	0.42
4	बैंक	01	निरंक <sup>(घ)</sup>	निरंक	01	निरंक निरंक	निरंक
5	सहकारिताएँ	130	16,29.57 <sup>(ङ)</sup>	0.03	130	2,54.93 4,83.01	निरंक
	योग	230	3,52,40.10	3,47.26	230	2,95,37.26 8,39.93	6,22.36

टीप :- इस विवरण पत्रक में मोटे अंक एकीकृत मध्यप्रदेश राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य आवंटन किया जा चुका है।

- (क) ₹ 1,74.89 करोड़ का मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के मध्य प्रभाजन किया गया, इसमें से मध्यप्रदेश को ₹ 1,28.34 करोड़ तथा छत्तीसगढ़ को ₹ 46.55 करोड़ आवंटित किए गए।
- (ख) ₹ 1,80.49 करोड़ का मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के मध्य प्रभाजन किया गया, इसमें से मध्यप्रदेश को ₹ 1,32.44 करोड़ तथा छत्तीसगढ़ को ₹ 48.05 करोड़ आवंटित किए गए।
- (ग) ₹ 1.54 करोड़ का मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के मध्य प्रभाजन किया गया, इसमें से मध्यप्रदेश को ₹ 1.13 करोड़ तथा छत्तीसगढ़ को ₹ 0.41 करोड़ आवंटित किए गए।
- (घ) एकीकृत राज्य मध्यप्रदेश का शेष ₹ 0.16 लाख है जो कि मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के मध्य प्रभाजित किया गया। इसमें से मध्यप्रदेश को ₹ 0.12 लाख तथा छत्तीसगढ़ को ₹ 0.04 लाख आवंटित किए गए। उक्त दर्शाए गए स.क्र.4 'बैंक' के विरुद्ध निवेश के आंकड़े परिलक्षित नहीं किये गये हैं क्योंकि इस विवरण पत्रक में राशियां करोड़ में परिलक्षित हैं।
- (ङ) ₹ 4,83.01 करोड़ का मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के मध्य प्रभाजन किया गया, इसमें से मध्यप्रदेश को ₹ 3,54.43 करोड़ तथा छत्तीसगढ़ को ₹ 1,28.58 करोड़ आवंटित किए गए।

## 10 – सरकार द्वारा दिये गए सहायता अनुदानों का विवरण पत्रक

1. वर्ष 2018-19 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में कुल विमुक्त निधियों एवं परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु आवंटित निधियों का विवरण :-

(₹ करोड़ में)

अनुदान ग्रहीता का नाम/श्रेणी (1)	सहायता अनुदान के रूप में विमुक्त कुल निधि (2)			स्तम्भ क्र.2 के अंतर्गत विमुक्त कुल निधि में से परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु आवंटित निधि (3)		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस.सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस.सहित)	योग
पंचायती राज संस्थान	1,60,92.65	1,02,08.38	2,63,01.03	निरंक	निरंक	निरंक
शहरी स्थानीय निकाय	67,33.20	46,75.69	1,14,08.89	निरंक	79.97	79.97
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	6,32.67	28.37	6,61.04	निरंक	निरंक	निरंक
स्वायत्त निकाय	6,49.29	15,96.00	22,45.29	निरंक	निरंक	निरंक
अशासकीय संगठन (एन.जी.ओ.)	9,69.88	3,10.50	12,80.38	निरंक	निरंक	निरंक
सहकारी समितियां एवं सहकारी संस्थाएं	80.29	निरंक	80.29	निरंक	निरंक	निरंक
अन्य	77,25.55	47,25.58	1,24,51.13	5,15.74	1,48.99	6,64.73
योग	3,28,83.53	2,15,44.52	5,44,28.05	5,15.74	2,28.96	7,44.70

2. वस्तुरूप में सहायता अनुदान एवं पूंजीगत प्रकृति की परिसम्पत्तियों के वस्तु के रूप में सहायता अनुदान के कुल मूल्य का विवरण:-

(₹ करोड़ में)

अनुदान ग्रहीता का नाम/श्रेणी (1)	वस्तुरूप में सहायता अनुदान का कुल मूल्य (2)	पूंजीगत प्रकृति की परिसम्पत्तियों के रूप में सहायता अनुदान का कुल मूल्य (3)
निरंक	निरंक	निरंक

## 18 - सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिमों का विस्तृत विवरण पत्रक

अनुभाग-1 : ऋणों एवं अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सार :

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्मुग्तान	बट्टे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम -							
क	सामान्य सेवाएं -							
(ड.)	पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं -							
6075	विविध सामान्य सेवाओं के लिये ऋण -							
800	अन्य ऋण - अन्य विविध ऋण	12,41,00.60	65,00.00	1,65.00	--	13,04,35.60	63,35.00	7,85.58
	योग 6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिये ऋण	12,41,00.60	65,00.00	1,65.00	--	13,04,35.60	63,35.00	7,85.58
	योग (ड) - पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	12,41,00.60	65,00.00	1,65.00	--	13,04,35.60	63,35.00	7,85.58
	योग-क-सामान्य सेवाएं	12,41,00.60	65,00.00	1,65.00	--	13,04,35.60	63,35.00	7,85.58
ख	सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण -							
(क)	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए ऋण -							
6202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए ऋण							
01	सामान्य शिक्षा -							
203	विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा							
(i)	विश्वविद्यालयों को ऋण	2.00	--	--	--	2.00	--	--
(ii)	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	0.04	--	--	--	0.04	--	--
(iii)	अशासकीय महाविद्यालय पेंशन भुगतान योजना	1,47,08.11	57,84.00	--	--	2,04,92.11	57,84.00	--
	योग-203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा	1,47,10.15	57,84.00	--	--	2,04,94.15	57,84.00	--
600	सामान्य - अन्य विविध ऋण	0.53	--	--	--	0.53	--	--
	योग-01-सामान्य शिक्षा	1,47,10.68	57,84.00	--	--	2,04,94.68	57,86.04	--
02	तकनीकी शिक्षा -							
104	बहुशिल्प -							
	विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम -							
	पोलीटेकनिक महाविद्यालय को ऋण	94.46	--	--	--	94.46	--	--
105	इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान-							
	विश्व बैंक द्वारा पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	9,51.34	--	13.27	--	9,38.07	(-) 13.27	--
	अभियांत्रिकीय महाविद्यालयों को ऋण							
	योग-02-तकनीकी शिक्षा	10,45.80	--	13.27	--	10,32.53	(-) 13.27	22,49.61



## 19 - सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण पत्रक

अनुभाग 1 - वर्ष 2018-19 के अंत तक निवेशों का ब्यौरा

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखों में न जमा किया गया	टिप्पणी	
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या						प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
<b>I- सांविधिक निगम-</b>										
1.	मध्यप्रदेश राज्य भाण्डागार निगम, भोपाल/ लॉजिस्टिक निगम	1957-58 से 1990-91 1991-92 1992-93 1994-95 से 2002-03 2017-18 छत्तीसगढ़ को प्रमाजित	साधारण साधारण साधारण	249540 17020 (50%)	100 100	7,31.58 (-) 4,63.60 17.02 3,10.24 (-) 1,51.92 <sup>(ब)</sup>		7,53.42		
					योग	4,43.32	50	7,53.42		
2.	मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर	1955-56 से 1983-84 1989-90 1990-91 से 2003-04 2004-05 से 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 छत्तीसगढ़ को अंशों का आवंटन 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18	साधारण विशेष साधारण साधारण साधारण साधारण साधारण	* * 134000 550000 1890000 6500000	100 100 100 100 100	4,86.67 -- 42,10.11 5,50.00 1,89,00.00 65,00.00 23,91.13 <sup>(ब)</sup> (-) 11,10.06 5,00.00 5,00.00 5,00.00 5,00.00 ₹ (-) 10,00.00 5,00.00 ₹ (-) 10,44.13 5,00.00 ₹ (-) 5,51.00 5,00.00 5,00.00 25,00.00 ₹ (-) 72.69	82.25 और 94.27			
					योग	3,57,60.03				

टीप:- कई प्रतिष्ठानों से स्तम्भ 8 तथा 10 हेतु जानकारी प्रतीक्षित है।

- (ब) राजपत्र की अधिसूचना क्रमांक 587 दिनांक 16.11.2012 के अनुसार ₹ 1,51.92 लाख की राशि छत्तीसगढ़ राज्य को प्रमाजित की गयी है। वित्त लेखे तथा निगम की पुस्तकों में पुनर्मिलान किया जा चुका है। तदनुसार अंतर की राशि को ₹ 15.24 लाख तक कम किया जा चुका है।
- (ब) मुख्य शीर्ष 6885 के अंतर्गत कर्ज के मुख्यशीर्ष 4885-01-190 के अन्तर्गत निवेश में परिवर्तन से संबंधित 16,91.13 लाख रुपये सम्मिलित है। निगम को दोनों राशियों को सम्मिलित करने एवं वर्ष 2012-13 का ₹ 10,00.00 लाख, वर्ष 2013-14 का 10,44.13 लाख एवं वर्ष 2014-15 का ₹ 5,51.00 लाख का विनिवेश करने हेतु कहा गया है। वित्त लेखे तथा निगम की पुस्तकों में विसंगति मुख्यतः निगम द्वारा विनिवेश की राशि को निगम की पुस्तकों में नहीं दर्शाये जाने के कारण परिलक्षित हो रही है।
- ₹ यह पूंजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।



## परिशिष्ट VIII – समाप्त

सरकार ने इन सुझावों को जून 1969 में स्वीकार कर लिया था। जबकि उन परियोजनाओं के निर्माण कार्य जिनके प्रशासकीय लेखे तैयार किए जाना आवश्यक है, की सूची प्रमुख अभियंता द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही अगस्त 1971 में लेखा परीक्षा द्वारा सुझाई गई प्रयोजनात्मक सूची की राज्य सरकार द्वारा अभी तक पुष्टि की गई है। प्रत्येक परियोजनाओं/निर्माण कार्यों से संबंधित विवरण, जैसे परियोजनाओं/निर्माण कार्यों को पूर्ण करने की तिथि, सिंचाई हेतु पानी देने की तिथि, सृजित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता, उगाहा गया, परित्यक्त या छूट में दिया गया राजस्व आदि के विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, और कई मामलों में पूंजीगत परिव्यय के दर्शाये गए आंकड़े, लेखा आंकड़ों से भी नहीं मिलते हैं। जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता और सरकार से मामले पर आग्रह करते रहने के बावजूद प्रशासकीय लेखे तैयार करने के लिये संपूर्ण आंकड़े विभाग से अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं (जून 2018)।

## विद्युत योजनाओं के वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

स. क्र.	परि- योजनाओं के नाम	प्रत्यक्ष पूंजीगत परिव्यय		वर्ष के दौरान सकल राजस्व	कार्यचालन खर्च			ब्याज को छोड़कर निवल राजस्व		पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज	ब्याज के बाद निवल लाभ या हानि	
		वर्ष के दौरान	वर्ष के अन्त में		मूल्य ढास	प्रत्यक्ष कार्य चालन खर्च	कुल कार्य चालन खर्च	व्यय से राजस्व का अधिक (+) या राजस्व से अधिक व्यय (-)	वर्ष के अंत में पूंजीगत परिव्यय पर दर प्रतिशत		व्यय से अधिक राजस्व (+) या राजस्व से अधिक व्यय (-)	वर्ष के अंत में पूंजीगत-परिव्यय पर दर प्रतिशत
राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार के सीधे नियंत्रण में कोई भी विभागीय विद्युत परियोजना नहीं चलाई जा रही है।												

**परिशिष्ट - IX**  
**सरकार की वचनबद्धता - अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची**

(₹ लाख में)

स. क्र.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	निर्माण कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तारीख	प्रारंभ होने का वर्ष	पूर्ण होने का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) <sup>(क)</sup>	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, अगर कोई हो/पुनरीक्षण की तारीख	लागत में वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>लोक निर्माण विभाग</b>										
1.	100 बिस्तारों के सरकारी अस्पताल के भवन के उन्नयन से संबंधित निर्माण कार्य, बड़नगर, जिला उज्जैन	11,50.00/ 17.07.12	2015	2017	31.5%	--	3,62.28	--	--	--
2.	ट्रॉमा इकाई, नवजात इकाई, मातृत्व विंग भाइक्रोबायोलॉजी, का निर्माण सीधी	5,97.57/ 21.03.13	2015	2016	24.64%	--	1,47.26	--	--	--
3.	बालिका छात्रावास, गरोट, मंदसौर	1,37.00/ 05.09.13	2016	2017	99.41%	9.20	1,36.19	--	--	--
4.	बालिका छात्रावास, बलदेवगढ़, टीकमगढ़	1,37.00/ 05.09.13	2014	2015	79.85%	--	1,09.39	--	--	--
5.	एकलव्य पॉलिटेक्निक योजना के अंतर्गत शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कार्य, खंडवा	32,02.00/ 18.09.13	2014	2017	100.00%	--	32,01.92	--	--	--
6.	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कार्य जटारा, टीकमगढ़	7,87.00/ 25.01.12	2012	2014	76.16%	--	5,99.36	--	--	--
7.	संजय गाँधी मेमोरियल अस्पताल, रीवा में एच-टाईप की 30 इकाइयों तथा आई-टाईप की 30 इकाइयों का निर्माण कार्य, बहुमंजिला में जल आपूर्ति, स्वास्थ्य संबंधी फिटिंग तथा विद्युतीकरण	8,57.34/ निरंक	2017	2018	70.99%	40.91	6,08.60	--	--	--
8.	जिला उज्जैन में प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य	27,16.00/ 18.06.13	2016	2019	35.24%	2,04.66	9,57.17	--	--	--
9.	जिला सागर में संयुक्त जिला कार्यालय भवन का निर्माण कार्य	17,57.00/ 18.06.13	2016	2018	75.39%	2,01.12	13,24.64	--	--	--
10.	जिला बालाघाट में एक एफ-टाईप, दो-जी टाईप, छः-एच टाईप, आठ-आई टाईप, कुल 17 आवासीय क्वार्टर्स का निर्माण कार्य	1,51.26/ 28.06.13	2014	2016	56.64%	--	85.67	--	--	--

(क) राज्य सरकार से प्राप्त आंकड़ों की प्रविष्टि इस परिशिष्ट में की जा चुकी है। स्तम्भ क्र.6 कार्य की भौतिक प्रगति का प्रतिशत प्रदर्शित करता है जिसकी गणना प्रगामी व्यय से निर्माण कार्य की अनुमानित लागत/पुनरीक्षित लागत पर की गई है।

## परिशिष्ट - XI

वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं

(₹ लाख में)

नीतिगत निर्णय की प्रकृति/नई योजना	प्राप्ति/व्यय/दोनों	आवर्ती/एक बार	आवर्ती की स्थिति में निवल नगद प्रवाह पर वार्षिक अनुदान को दर्शावे <sup>(क)</sup>		वार्षिक व्यय		नई योजनाओं पर व्यय से मिलने वाले संभावित स्रोत <sup>(क)</sup>		
			निश्चित अवधि (अवधि का उल्लेख करें)	स्थाई	राजस्व	पूँजीगत	राज्य के अपने संसाधन	केन्द्रीय अंतरण	लिया गया ऋण (उल्लेख करें)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>गृह विभाग (पुलिस)</b>									
03-4055-207-2303	व्यय	आवर्ती	--	--	--	40,00.00	--	--	--
<b>कृषि</b>									
13-2401-800-0101-2343	व्यय	एक बार	--	--	23,70,41.31	--	--	--	--
13-2401-800-0102-2343	व्यय	एक बार	--	--	11,73,75.20	--	--	--	--
13-2401-800-0103-2343	व्यय	एक बार	--	--	8,33,28.18	--	--	--	--
<b>पशुपालन</b>									
14-2403-109-0101-2293	व्यय	आवर्ती	--	--	4,22.84	--	--	--	--
14-2403-109-0102-2293	व्यय	आवर्ती	--	--	1,53.75	--	--	--	--
14-2403-109-0103-2293	व्यय	आवर्ती	--	--	1,16.35	--	--	--	--
<b>सहकारिता</b>									
17-2425-107-0101-2341	व्यय	एक बार	--	--	3,00,00.00	--	--	--	--
17-2425-107-0102-2341	व्यय	एक बार	--	--	30,00.00	--	--	--	--
17-2425-107-0103-2341	व्यय	एक बार	--	--	20,00.00	--	--	--	--
<b>श्रम</b>									
18-2230-01-112-0101-2340	व्यय	आवर्ती	--	--	10,00.00	--	--	--	--
<b>लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</b>									
19-2210-01-110-0701-2315	व्यय	आवर्ती	--	--	20,00.00	--	--	--	--
19-2210-01-110-0702-2315	व्यय	आवर्ती	--	--	38,79.42	--	--	--	--
19-2210-01-110-0703-2315	व्यय	आवर्ती	--	--	27,71.02	--	--	--	--
<b>लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय</b>									
20-4215-01-102-1201-2316	व्यय	एक बार	--	--	--	3,10,00.00	--	--	--
20-4215-01-102-1202-2316	व्यय	एक बार	--	--	--	6,00,00.00	--	--	--
20-4215-01-102-1203-2316	व्यय	एक बार	--	--	--	6,10,00.00	--	--	--

## परिशिष्ट - XI - समाप्त

(₹ लाख में)

नीतिगत निर्णय की प्रकृति/नई योजना	प्राप्ति/व्यय/दोनों	आवर्ती/एक बार	आवर्ती की स्थिति में निवल नगद प्रवाह पर वार्षिक अनुदान को दर्शावे <sup>(क)</sup>		वार्षिक व्यय		नई योजनाओं पर व्यय से मिलने वाले संभावित स्रोत <sup>(क)</sup>		
			निश्चित अवधि (अवधि का उल्लेख करें)	स्थाई	राजस्व	पूंजीगत	राज्य के अपने संसाधन	केन्द्रीय अंतरण	लिया गया ऋण (उल्लेख करें)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>जनजातीय कल्याण</b>									
33-2225-02-102-0102-2326	व्यय	आवर्ती	--	--	2,19,76.52	--	--	--	--
33-4225-02-277-0102-0494	व्यय	एक बार	--	--	--	17,32.67	--	--	--
33-4225-02-277-0102-0495	व्यय	एक बार	--	--	--	2,40.01	--	--	--
33-4225-02-277-0102-1398	व्यय	एक बार	--	--	--	13,37.92	--	--	--
<b>स्कूल शिक्षा</b>									
40-4202-01-202-0101-6970	व्यय	एक बार	--	--	--	1,11,68.79	--	--	--
40-4202-01-202-0102-6970	व्यय	एक बार	--	--	--	43,62.83	--	--	--
40-4202-01-202-0103-6970	व्यय	एक बार	--	--	--	28,27.99	--	--	--
40-4202-01-202-0101-0816	व्यय	एक बार	--	--	--	12,34.75	--	--	--
40-4202-01-202-0102-0816	व्यय	एक बार	--	--	--	7,43.60	--	--	--
40-4202-01-202-0103-0816	व्यय	एक बार	--	--	--	3,84.03	--	--	--
<b>नर्मदा घाटी विकास</b>									
48-4700-80-800-0102-2332	व्यय	एक बार	--	--	--	62,30.00	--	--	--
48-4700-80-800-0101-2334	व्यय	एक बार	--	--	--	1,04,98.65	--	--	--

टीप:- इस परिशिष्ट में ₹ 10 करोड़ एवं इससे अधिक की योजनाएं शामिल हैं।

परिशिष्ट - XII  
सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं

(₹ लाख में)

स.क्र.	दायित्व की प्रकृति	दायित्व राशि	संभावित स्रोत जिससे पूरा किया जाना प्रस्तावित है			विमुक्ति का संभावित वर्ष	चालू वर्ष में विमुक्त दायित्व	बचा हुआ शेष
			राज्य का स्वयं का संसाधन	केन्द्रीय अंतरण	ऋण में बढ़ोत्तरी (उल्लिखित करना)			
I	भुगतान योग्य लेखा						0	
1.								
	योग							
II	केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्यांश							
1.								
	योग							
III	आयोजना योजनाओं का आयोजनेत्तर शीर्षा में अंतरण के रूप में दायित्व							
1.								
	योग							
IV	अपूर्ण परियोजनाओं से उत्पन्न दायित्व							
1.								
	योग							
V	अन्य/विविध							
1.								
	योग							
	महायोग							

टीप :- राज्य सरकार से इस परिशिष्ट के लिए जानकारी प्रतीक्षित है।